न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21/2023	15/02/2023	08/08/2023

1. सत्यनारायण पुत्र गोपाल जाति मीना निवास जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. मदनमुरारी पुत्र गोपाल जाति मीना निवास जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र भूरया जाति मीना निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादी द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि वाद विषयक कृषि आराजी ग्राम जोरावरपुरा पटवार सर्कल जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के राजस्व रिकार्ड में खतौनी संख्या 26 ख. न. 25 रकबा 1.68 है0, ख. न. 54 रकबा 3.29 है०, ख. न. 138 रकबा 2.14 है0, ख. न. 245 रकबा 0.96 है०, ख. न. 351 रकबा 1.25 है0, ख. न. 156/420 रकबा 0.07 है. कुल किता 6 कुल रकबा 9.39 है0 कृषि आराजी प्रतिवादी कम 1 के राजस्व रिकार्ड में स्थित है। उक्त कृषि आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से आगे वाद पत्र एवं वाद प्रार्थना में सम्बोधित किया गया है। वादीगण प्रतिवादी कम 1 के पुत्र है, उक्त वर्णित कृषि आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है जो कि प्रतिवादी कम 1 को विरासतन प्राप्त हुई है, उक्त कृषि भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायिकी कृषि भूमियां है, जिन पर वादीगण का जन्मतः हिताधिकार निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

भूरया

गोपाल (पुत्र) प्रतिवादी कम 1

रामेश्वर (पूर्व मृत पुत्र) सत्यनारायण (पुत्र) मदनमुरारी(पुत्र)

वादीगणों को अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादी कम 1 को वादग्रस्त कृषि आराजी में से हिस्सा 1/3, वादी कम 2 को हिस्सा 1/3 बाहमी तौर पर दिया हुआ है। किन्तु उक्त कृषि भूमियों पर बतौर खातेदार अंकित नहीं हो पाने से वादीगणों को उक्त कृषि आराजी पर अपने हिस्से के भू–सुधार एवं काश्त सम्बन्धी कार्यों में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। उक्त कृषि भूमियों में अपने सहदायिक हिस्से की घोषणा करवाने हेतु तदर्थ यह वाद माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। वादीगणों द्वारा प्रतिवादी कम 1 को तत्सम्बन्धी निवेदन करने पर उनके द्वारा तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर बंटवारा करने बाबत आश्वासन दिया जाता रहा है, किन्तु आज दिनांक तक भी तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर सन्दर्भित कार्यवाही नहीं करने के कारण वादीगणों को माननीय न्यायालय की सेवा में वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा है। वादीगणों द्वारा तत्सम्बन्धी निवेदन प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार महोदय से भी कई मर्तबा किया गया है, किन्तु उनके द्वारा असमर्थता जाहिर कर अनुरोधित सहायता के लिए अंतिम बार 15.01.2023 को न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर वादीगणों को वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हो गया है। प्रस्तुत वाद पत्र में राज्य शासन के प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय पीपल्दा को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी कम 2 के रूप में संयोजित किया जा रहा है। जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व यद्यपि दो माह का मियादी सूचना नोटिस प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। किन्तु प्रश्नगत वाद पत्र में राज्य शासन के सामान्य हितों के विपरीत कोई प्रभावी सहायता नहीं चाही होने के कारण एवं वाद पत्र की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखा जाकर वाद पत्र नोटिस के अभाव में ही प्रस्तुत किया जा रहा है। नोटिस मुक्ति हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु वादीगणों को वाद कारण विगत दिनांक– 27/12/2022 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा वाछिंत सहायता उपलब्ध करवाने हेतु तहसील कार्यालय में उपस्थित होने से साफ इन्कार कर देने एवं प्रतिवादी कम 2 द्वारा विगत दिनांक 15/01/2023 को राज्य शासन के प्रतिनिधि द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर वादीगणों को वाद कारण लगातार उत्पन्न है। वादग्रस्त कृषि आराजी एवं पक्षकारान न्यायालय श्रीमान की साधारण

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

क्षेत्राधिकारिता में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत वाद पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य समक्ष क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगणों को वादग्रस्त कृषि आराजी ग्राम जोरावरपुरा पटवार सर्कल जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 के राजस्व रिकार्ड में खतौनी संख्या 26 ख. न. 25 रकबा 1.68 है0, ख. न. 54 रकबा 3.29 है०, ख. न. 138 रकबा 2.14 है, ख. न. 245 रकबा 0.96 है०, ख. न. 351 रकबा 1.25 है0, ख. न. 156/420 रकबा 0.07 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 9.39 है0 में वादी क्रम 1 व 2 को हिस्सा 1/3–1/3 तथा प्रतिवादी कम 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी कम 2 राज्य शासन के प्रतिनिधिगण को जर्ये डिकी आदेशित किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी द्वारा सहमतिपरक जवाब प्रस्तुत होने पर वादीगण द्वारा वाद जवाब दावा के आधार पर निर्णय करने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा गोपाल के तीसरे वारिस रामेश्वर , जो सजरे मे दर्शाया गया है, के बारे में अधिवक्ता वादी से जानकारी चाही गई तो अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि रामेश्वर की मृत्यु हो चुकी है एवं रामेश्वर के एकमात्र जीवीत संतान उसकी पुत्री है और दादा के जीवित रहते पौत्री का उत्तराधिकार सृजित नहीं होता है और वैसे भी मीना जनजाति में महिलाओं को पुरूष वारिसान के जीवित रहते सम्पत्ति में अधिकार नहीं होते हैं इसलिए मृतक रामेश्वर पुत्र गोपाल की पुत्री का विवादित आराजी में कोई निहित हित सृजित नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है।

बकुलाय फरीकेन की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद के तथ्यों को स्वीकार किया जाकर दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। इस सम्बन्ध में आदेश 15 नियम 1 के प्रावधान आकर्षित होते हैं। जिसके अनुसार –

ORDZER XV Rule1

Parties not at issue – Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not in at issue on any question of law and fact, the Court may at once pronounce judgement.

इस प्रकार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुरा पटवार सर्कल जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की ख. न. 25 रकबा 1.68 है0, ख. न. 54 रकबा 3.29 है०, ख. न. 138 रकबा 2.14 है, ख. न. 245 रकबा 0.96 है०, ख. न. 351 रकबा 1.25 है0, ख. न.

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

156/420 रकबा 0.07 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 9.39 है0 भूमि में वादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा, वादी क्रम 2 का1/3 का हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार पीपल्दा को आदेश प्रदान किया जाता है। तदनुसार डिक्री बनाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखा जाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) इटावा
जिला कोटा राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

डिकी मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21/2023	15/02/2023	08/08/2023

1. सत्यनारायण पुत्र गोपाल जाति मीना निवास जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. मदनमुरारी पुत्र गोपाल जाति मीना निवास जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र भूरया जाति मीना निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला

कोटा राज0

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्रम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुरा पटवार सर्कल जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की ख. न. 25 रकबा 1.68 है0, ख. न. 54 रकबा 3.29 है०, ख. न. 138 रकबा 2.14 है, ख. न. 245 रकबा 0.96 है०, ख. न. 351 रकबा 1.25 है0, ख. न. 156/420 रकबा 0.07 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 9.39 है0 भूमि में वादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा, वादी क्रम 2 का1/3 का हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार पीपल्दा को आदेश प्रदान किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में लिखा जाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा